कुक ने भारत में ऐपल कारोबार संवारा

चुनौतियों से जूझते ऐपल के सीईओ टिम कुक ने भारत में ऐपल की कारोबारी रणनीति को दी दमदार पहचान

सुरजीत दास गुप्ता

टिम कुक मई 2016 में पहली बार भारत आए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी के साथ इस बैठक का मकसद भारत जैसे बाजार में ऐपल की पहुंच बढ़ाने के तरीके तलाशना था जहां उसकी उपस्थिति उस समय काफी सीमित थी। मगर ऐपल इंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि यह सफर आसान नहीं होगा।

उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने शीर्ष अधिकारियों की टीमें भेजी ताकि वे भारत सरकार के सामने देश में फोन असेंबल (तैयार करने) करने के लिए जरूरी प्रस्ताव पेश करें। कुक ने यह कदम इसलिए उठाया था क्योंकि तब रिफर्बिश्ड आईफोन (पुराने या छोटी-मोटी खराबी के बाद पुनः बाजार में बेचे जाने वाले फोन) के आयात और बिक्री की अनुमति देने का उनका शुरुआती प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिया गया था। इसके बजाय उन्हें स्थानीय स्तर पर आईफोन असेंबल करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा गया। हालांकि, सरकार को मनाने के प्रयास विफल रहे। मार्च 2017 में राज्य सभा में लिखित जवाब में तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐपल का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। उस प्रस्ताव में भारत में आईफोन तैयार करने की शर्त के रूप में स्मार्टफोन के पूंजीगत उपकरणों, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों के साथ सेवा एवं मरम्मत पर 15 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क छूट की मांग शामिल थी। सीतारमण ने एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए आवश्यक विवादास्पद 30 प्रतिशत स्थानीय स्रोत सामान का इंतजाम करने (सोर्सिंग) नियमों में छूट देने का ऐपल का अनुरोध भी खारिज कर दिया। अब नौ साल बाद जब कुक ने अपने पद से हटने की घोषणा की तो वैश्विक स्तर पर उपलब्ध प्रत्येक चार आईफोन में कम से कम भारत से ताल्लुक रखता है। वर्ष 2016 में 95 प्रतिशत आईफोन चीन में तैयार होते थे। अब भारत अमेरिका को आईफोन निर्यात करने वाले सबसे बड़े देशों में शुमार हो गया है। मोबाइल उपकरणों के लिए उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026) के पांच वर्षों में देश ने कुल 70 अरब डॉलर के माल ढुलाई मूल्य (फ्रेट ऑन बोर्ड) का आईफोन का उत्पादन किया है। इतना ही नहीं, ऐपल ने अपना पीएलआई उत्पादन लक्ष्य 80 प्रतिशत से अधिक पार कर लिया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत से निर्यात की जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी बन गई हैं।

ऐसे बना भारत आईफोन का वैश्विक केंद्र

- ऐपल ने वित्त वर्ष 2021-2026 में सरकार के संचयी पीएलआई उत्पादन लक्ष्य (**3.35** लाख करोड़ रुपये) को पार करते हुए लगभग **6.02** लाख करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हासिल किया
- अकेले वित्त वर्ष 2026 में अमेरिका को निर्यात में भारी वृद्धि के कारण ऐपल ने आईफोन का उत्पादन बढ़ाकर **5.5** करोड़ कर दिया
- पीएलआई की अवधि के दौरान भारत में ऐपल ने **2.5** लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार किए
- दुनिया में तैयार प्रत्येक चार आईफोन में एक भारत में होता है तैयार, वर्ष 2016 में **95** प्रतिशत आईफोन बनते थे चीन में

ऐपल को भारत में कैसे मिली सफलता?

सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद कुक एवं उनकी टीम ने अपनी रणनीति बदल दी। वर्ष 2018 तक ऐपल ने अमेरिका के दबदबे वाले नजरिये से अलह हटकर सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप स्थानीय विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का निर्णय लिया। इसने सरकार से अकेले बातचीत करने के बजाय मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघों के साथ मिलकर संवाद करने का विकल्प चुना। यह रणनीति कारगर साबित हुई। तीन साल की कठिन चर्चा के बाद एकल-ब्रांड खुदरा बिक्री के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों में संशोधन हुए। ऐपल ने सरकार को यह विश्वास दिलाया कि वह स्वयं आईफोन नहीं बनाती है इसलिए अनुबंध पर यह मोबाइल तैयार करने वाले उनके विनिर्माताओं द्वारा जोड़ा गया मूल्य 'स्थानीय सोर्सिंग' में गिना जाना चाहिए। इसके ऐपल ने सरकार को आश्वासन दिया कि वह ऐसी अनुचित मूल्य निर्धारण नीतियों में शामिल नहीं होगी जिससे स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को नुकसान हो। भारत में इसका पहला खुदरा स्टोर 2023 में मुंबई में खुला। समय ने भी ऐपल का साथ दिया। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए किए गए प्रयास और पीएलआई योजना के माध्यम से उद्योग को दिए गए समर्थन का तालमेल ऐपल द्वारा चीन पर अपनी भारी निर्भरता कम करने के प्रयासों के साथ हो गया। हालांकि, ऐपल के वियतनाम में वियरेबल और आईपैड के विनिर्माण केंद्र थे मगर सैमसंग ने अरबों डॉलर के निवेश के साथ पहले ही वहां के स्मार्टफोन बाजार पर अपना दबदबा बना लिया था। इसे देखते हुए ऐपल ने भारत को अपने वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में चुना।

इसके बाद सरकार और ऐपल के बीच सहयोग बढ़ता गया जिसमें कुक ने वैश्विक चुनौतियों (बात चाहे डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में में शुल्कों का दबाव हो या भारतीय सरकार की चिंताओं को दूर करने के लिए रणनीति में बदलाव करना) से निपटने में अहम भूमिका निभाई। मोबाइल विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को 10 महीने से अधिक की गहन चर्चा के बाद मंजूरी मिली। कई क्षेत्रों में ऐपल ने नीति की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धियों को रियायतें दीं। उदाहरण के लिए पीएलआई के लिए पात्र न्यूनतम फोन मूल्य 300 डॉलर से घटाकर 200 डॉलर कर दिया गया ताकि कम कीमत वाले उपकरण भी शामिल किए जा सकें। हालांकि, इससे ऐपल को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसके उत्पादों की कीमत अधिक है।

शुरू में ऐपल ने आपूर्ति तंत्र तैयार करने के लिए चीन के अपने आपूर्तिकर्ताओं को भारत लाने की योजना बनाई थी। हालांकि, गलवान में संघर्ष के कारण भारत ने एफडीआई नियमों को सख्त कर दिया जिससे नए उद्यमों में चीन की भागीदारी पर रोक लग गई। इसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2026 तक सरकार के 35-40 प्रतिशत के स्थानीयकरण लक्ष्य का समर्थन करना था।

सरकार ने कुछ लचीलापन दिखाया और गहन जांच के बाद चीन की 12 कंपनियों को संयुक्त उद्यम बनाने की मंजूरी दी गई। हालांकि, अप्रैल 2023 में कुक और मोदी के बीच हुई बैठक के दौरान जब वह (कुक)ऐपल के पहले स्टोर का उद्घाटन करने के लिए भारत आए थे तो उस समय चीन के दबदबे वाले वाली आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंता जताई गई। कुक ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय और चीन के अलावा दूसरे साझेदारों को शामिल किया। यह रणनीति कारगर साबित हुई और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और समवर्द्धन मदरसन जैसी प्रमुख कंपनियों सहित 40 भारतीय कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो गईं। हालांकि, वर्तमान में 20 प्रतिशत मूल्य वर्द्धन के साथ ऐपल सरकार के लक्ष्यों से पीछे रह गई है।

जापान ने घातक शस्त्र निर्यात से पाबंदी हटाई

साने ताकाइची, जापान की पीएम

जापान ने मंगलवार को घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का समर्थन किया क्योंकि देश अपने हथियार उद्योग को मजबूत करना चाहता है और रक्षा भागीदारों के साथ सहयोग को गहरा करना चाहता है। इसे जापान की युद्धोत्तर शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री साने ताकाइची के मंत्रिमंडल की ओर से नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिलने के साथ ही जापान के युद्धोत्तर हथियार निर्यात के रास्ते में मौजूद अंतिम बाधाएं भी दूर हो गई हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच देश अपनी सैन्य क्षमता को तेजी से मजबूत करने में जुटा है।

जहां इस नीति बदलाव की चीन ने आलोचना की है, वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे जापान के रक्षा सहयोगी देशों ने इसका स्वागत किया है, और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा यूरोप के देशों में भी इसके प्रति रुचि देखी जा रही है। विरोधियों का कहना है कि यह बदलाव जापान के शांतिवादी संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे वैश्विक तनाव बढ़ सकता है, साथ ही जापानी नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता है।

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरु किहारा ने संवाददाताओं से कहा, 'तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच नयी नीति जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय शांति व स्थिरता में भी अहम योगदान देगी।'

उन्होंने कहा, 'सरकार रक्षा उपकरणों के निर्यात को रणनीतिक रूप से बढ़ावा देगी, ताकि जापान के लिए अनुकूल सुरक्षा वातावरण तैयार किया जा सके और ऐसी औद्योगिक क्षमता विकसित की जा सके, जो किसी भी संघर्ष की स्थिति में देश की मजबूती को सहारा दे सके।'

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने अपने शांतिवादी संविधान के तहत जापान लंबे समय तक अधिकांश हथियारों के निर्यात पर रोक लगाए रहा। हालांकि, हाल के वर्षों में वैश्विक और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के कारण इसमें कुछ ढील दी गई, लेकिन निर्यात को केवल पांच क्षेत्रों- बचाव, परिवहन, सतर्कता, निगरानी और बारूदी सुरंग हटाने तक सीमित रखा गया था।

नए दिशा-निर्देश इन सीमाओं को समाप्त करते हैं और लड़ाकू विमान, मिसाइल और विध्वंसक जैसे उपकरणों के निर्यात को अनुमति देते हैं। फिलहाल, यह निर्यात केवल उन 17 देशों तक सीमित रहेगा, जिन्होंने जापान के साथ रक्षा उपकरण और तकनीक हस्तांतरण से जुड़े समझौते किए हैं।

इसके अलावा, हर सौदे के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी अनिवार्य होगी और बाद में हथियारों के उपयोग व प्रबंधन पर सरकार नजर भी रखेगी। जापान अब भी युद्धरत देशों को घातक हथियारों का निर्यात नहीं करेगा। **भाषा**

कोरिया से बढ़ा व्यापार घाटा

यश कुमार सिंघल

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग ने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और जहाज निर्माण से लेकर कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2010 में द्विपक्षीय व्यापार समझौता लागू होने के बाद भारत का दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार घाटा बढ़ता गया है। वित्त वर्ष 2022 के बाद कोरिया को भारत के निर्यात में कमी आई। जिन चीजों के निर्यात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई, उनमें पेट्रोलियम, एल्यूमीनियम तथा लोहा और इस्पात से संबंधित उत्पाद शामिल हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत दोबारा द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने पर जोर दे रहा है। भारत और दक्षिण कोरिया ने जहाज निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक स्तर पर जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 2014 में 0.15 प्रतिशत से घटकर 2024 में 0.06 प्रतिशत रह गई, जबकि दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी 2014 में 34.36 प्रतिशत से घटकर 2024 में 28.02 प्रतिशत हो गई। हालांकि वर्ष 2024 में चीन के बाद दक्षिण कोरिया जहाज निर्माण में दूसरे स्थान पर रहा।

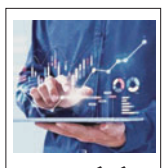

आंकड़ों के आईने में

भारत और कोरिया के बीच माल व्यापार (अरब डॉलर में)

वित्त वर्ष	कोरिया से आयात	कोरिया को निर्यात	व्यापार घाटा
2010	8.58	3.42	5.16
2011	10.48	3.73	6.75
2012	12.79	4.36	8.43
2013	13.1	4.21	8.89
2014	12.47	4.21	8.26
2015	13.53	4.6	8.93
2016	13.05	3.52	9.53
2017	12.59	4.24	8.35
2018	16.36	4.46	11.9
2019	16.76	4.7	12.06
2020	15.66	4.85	10.81
2021	12.78	4.69	8.09
2022	17.48	8.09	9.39
2023	21.23	6.65	14.58
2024	21.14	6.42	14.72
2025	21.06	5.82	15.24
2026*	19.44	5.43	14.01

*स्रोत: वाणिज्य विभाग, बिज़नेस स्टैंडर्ड विश्लेषण

'वॉयजेस' से मजबूत होंगे भारत-कोरिया के रिश्ते

अर्चिस मोहन

भारत ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के नेतृत्व में आए कोरियाई प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि उनके पोत निर्माता भारत के तेजी से बढ़ रहे नाविकों को काम पर रख सकते हैं, अपने पोतों को भारत में पंजीकृत कर सकते हैं तथा महाराष्ट्र के वधावन कंटेनर पोर्ट, ओडिशा के बाहुदा बहुउद्देश्यीय टर्मिनल और गुजरात के दीनदयाल पोर्ट सहित अन्य जगहों पर अधोसंरचना विकास में भी योगदान कर सकते हैं।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की तीन दिवसीय भारत यात्रा मंगलवार को समाप्त हुई। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को अहम क्षेत्रों में ठोस परिणाम देने वाली बताया। ली की भारत यात्रा की सबसे रेखांकित करने वाली बात थी ''शेयर्ड विजन फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद इफीशिएंसी ऐंड स्केल' (वॉयजेस) समझौते की घोषणा।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग ऐंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (एचडी केएसओई) और एचडी ह्युंडै सामहो कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत में अगली पीढ़ी के पारंपरिक और स्वायत्त समुद्री तथा पोर्ट क्रेनों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में भारत की पोर्ट क्रेनों के लिए चीन पर निर्भरता 90 प्रतिशत से अधिक है। भारत में सहायक उद्योगों के निर्माण में मदद करने के लिए, कोरियाई शिपबिल्डिंग उपकरण निर्माताओं का संघ आने वाले कुछ महीनों में भारत में अपना कार्यालय स्थापित करेगा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनाव ने दक्षिण कोरियाई शिपबिल्डरों के लिए अवसर पैदा किए हैं, क्योंकि कुछ पश्चिमी शिपिंग कंपनियां राजनीतिक जोखिम को कम करने के लिए चीन से ऑर्डर हटाकर उनकी ओर रुख कर रही हैं। अक्टूबर 2025 में हुए अमेरिका-दक्षिण कोरिया व्यापार समझौते में शिपबिल्डिंग सहयोग के लिए 150 अरब डॉलर की राशि शामिल थी। भारत-दक्षिण कोरिया 'वॉयजेस' समझौता शिपबिल्डिंग से संबंधित दूसरा ऐसा सहयोगी प्रबंध है, जिसमें दक्षिण कोरिया ने किसी अन्य देश के साथ भागीदारी की है।

खुलेगी पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में बड़े निवेश की राह

कम मार्जिन वाले बल्कर्स और मानक कंटेनरों में चीन की बेहतरी के बावजूद, कोरियाई शिपयार्ड उच्च मूल्य वाले खंडों जैसे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) कैरियर्स, ड्यूल फ्यूल कंटेनर शिप्स, अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स और उन्नत ऑफशोर प्लेटफॉर्म में मजबूत बने हुए हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर परिचालित 760 एलएनजी कैरियर्स में से लगभग 70 प्रतिशत कोरिया में बनाए गए हैं। कोरिया के शीर्ष तीन शिपबिल्डर्स (एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग ऐंड ऑफशोर एनर्जी, हनव्हा ओशन और सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज का वैश्विक एलएनजी कंटेनरों के उत्पादन में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा है।

वॉयजेस समझौते के हिस्से के रूप में, भारतीय पक्ष ने दक्षिण कोरियाई पोत मालिकों को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (गिफ्ट आईएफएससी) और ई-समुद्र का उपयोग करके भारत में जहाजों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे उदार स्वामित्व संरचनाओं और उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकें।

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

आस्ति वसूली शाखा – गाजियाबाद,
ई–52–बी, सेक्टर–09, नोएडा–201301,
फोन नंबर–0120–3295465
ई–मेल– arb.ghaziabad@bankofindia.bank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस
परिशिष्ट - IV-A
नियम **8(6) & 9(1)** के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक /भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **08.05.2026** को (पूर्वा. 11.00 बजे से अपा. 05.00 बजे) को बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **07.05.2026** है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल **https://baanknet.com** पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि/ देय एवं कब्जे का प्रकार	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1	आस्ति वसूली शाखा, गाजियाबाद 1. मैसर्स पी.पी. मेटल वर्क्स (प्रोप. – सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय), 19/202–ए, खसरा नंबर 2261/2 का हिस्सा, कृष्णापुरी मठिया, जिला–अलीगढ़, यूपी–202001., 2. श्री सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय, 15/50, नंदन भवन, तमोली पारा, जिला–अलीगढ़, यूपी–202001	रु. **1,00,50,881.35** दिनांक 30.04.2021 तक + अप्रभरित ब्याज और अन्य व्यय (यह सम्पत्ति बैंक के सांकेतिक कब्जे में है	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नंबर. 19/202, खसरा नंबर 2261/2 का हिस्सा, कस्बा– कोइल, निकट– कृष्णापुरी, पोस्ट एवं तहसील – कोइल, अलीगढ यह सम्पत्ति श्री सुमित कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ष्णेय के नाम पर है। क्षेत्रफल– 100.73 वर्ग मीटर सीमा: उत्तर– रास्ता 8 फीट चौड़ा, दक्षिण– के.पी. स्कूल की भूमि, पूर्व– अराजी राजेंद्र प्रसाद वर्तमान कृष्ण कुमार सारस्वत का मकान, पश्चिम– के.पी. स्कूल की भूमि	₹ 24.30 लाख / ₹ 2.43 लाख / ₹ 0.25 लाख

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर: कैलाश कुमार सागर, मोबाइल नंबर: 9506722936

नियम और शर्तें – 1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) नीलामी की तिथि और समय : **08.05.2026 (सुबह 11:00 बजे से अर्पा 05:00 बजे तक** प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **07.05.2026**
3) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल www.baanknet.com. पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
5) संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट **www.baanknet.com** पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7) सफल बोलीदाता/क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख/– और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
8) असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं **EBKRAY/baanknet** से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
9) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को स्थगित//रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10) बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11) सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से **8291220220** या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
नोट: सभी इच्छुक बोलीदाता 22-04-2026 से 07-05-2026 तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ /शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.bank.in/https://www.baanknet.com** देखें।
उधारकर्ता और गारंटर को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना के रूप में भी माना जा सकता है

दिनांक 21.04.2026, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

शेयर विभाग, बोर्ड एवं समन्वय प्रभाग
प्लॉट नंबर 4, द्वारका सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075
ई-मेल आईडी: hosd@pnb.bank.in

भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण तथा विभौतिकरण (DEMATERIALIZATION) हेतु विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/38/13/11(2)2026-एमआईआरएसडी-पीओडी/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसरण में, सभी शेयरधारकों को एतद्द्वारासूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व क्रय/विक्रय की गई भौतिक प्रतिभूतियों के अंतरण तथा डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") की सुविधा के लिए 05 फरवरी, 2026 से 04 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष विंडो खोली गई है।

विशेष विंडो ऐसे अंतरण अनुरोधों के लिए भी उपलब्ध होगी जो पूर्व में जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया/अन्य अभावों के कारण अस्वीकृत/वापस किया/विचार नहीं किया गया था।

अंतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने वाले निवेशकों के पास एक सक्रिय/ केवाईसी अनुपालित डीमैट खाता होना चाहिए तथा उन्हें अंतरण दस्तावेजों एवं शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के साथ उनके क्लाइंट मास्टर लिस्ट ('सीएमएल') को अवश्य उपलब्ध करानी होगी। ऐसे अंतरण -सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

संबंधित निवेशक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध अधिकतम 04 फरवरी, 2027 तक बैंक के निर्गम के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास जमा कर सकते हैं। आरटीए का विवरण इस प्रकार है:

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
बीटल हाउस, तृतीय तल,
99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062
ईमेल आईडी: beetalrta@gmail.com
दूरभाष 011-42959000-09, 011-29961281-283

जिन प्रतिभूतियों को अंतरण के लिए पुनः जमा किया जाना है, उन्हें आरटीए द्वारा सभी दस्तावेजों के नियमानुकूल पाए जाने के बाद केवल डीमैट मोड में ही जारी किया जाएगा।

04 फरवरी, 2027 के पश्चात जमा किए गए अंतरण अनुरोध बैंक/आरटीए द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कृते पंजाब नैशनल बैंक
(बिक्रमजित सोम)
कंपनी सचिव

दिनांक: 21-04-2026
स्थान: नई दिल्ली

APPOINTMENTS

UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED
Malpe, Karnataka
Wholly Owned subsidiary of Cochin Shipyard Limited
Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India.

Ref No. UCSL/IMS/HR/VN/F/11-AGM-CC, DM(Qc,Pnt,Dsn,Cc)/76 dated 20 April 2026

RECRUITMENT
EXECUTIVES ON PERMANENT BASIS

Sl. No	Name of Posts	No. of Posts
01	Assistant General Manager (Contract Cell)	01 Post
02	Deputy Manager (Quality Control)	02 Posts
03	Deputy Manager (Painting)	01 Post
04	Deputy Manager (Contract Cell)	01 Post
05	Deputy Manager (Machinery Design)	01 Post
06	Deputy Manager (Electrical Design)	01 Post

For more details on age, qualification, remuneration, reservations, etc with regards to this advertisement visit www.cochinshipyard.in or www.udupicsl.com

Last date for Application: 12 May 2026.

Sd/-
MANAGER (HR&IR)